भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 631
उत्तर देने की तारीख 06 फरवरी, 2023
सोमवार, 17 माघ, 1944 (शक)

प्रवासी कौशल विकास योजना

631. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है;

(ख) पीकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण के पश्चात् विभिन्न देशों में वास्तविक रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है; और

(ग) पीकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों को किन-किन देशों में रोजगार मिला है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) पीकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से संभावित प्रवासियों को एक दिवसीय प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी) प्रदान कर रहा है, ताकि उनके पास विदेशी गंतव्यों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक सॉफ्ट कौशल हो। उन्मुखीकरण में भाषा, संस्कृति, उत्प्रवास प्रक्रिया, कल्याणकारी उपाय तथा गंतव्य देश के क्या करें और क्या न करें पहलू शामिल हैं। 8 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। पीडीओटी पीकेवीवाई के अंतर्गत जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक 1,12,671 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय विभिन्न देशों में जॉब प्राप्त करने वाले पीडीओ प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखता है।

****